Study Today, Grow Tomorrow: Stop Child Marriage
Your Future is Your Right: Say No to Child Marriage, Say Yes to Progress
आज पढ़ाई करो, कल आगे बढ़ो: बाल विवाह रोको
आपका भविष्य आपका अधिकार है: बाल विवाह को ना कहो, प्रगति को हाँ कहो

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
राजस्थान उच्च न्यायालय
एवं
कार्यकारी अध्यक्ष
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) द्वारा बच्चों के अधिकारों और जागरूकता अभियान से संबंधित विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। इन पुस्तिकाओं का उद्देश्य बाल अधिकारों, सुरक्षा, संरक्षण तथा विधिक सहायता के विषय में सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि बच्चे स्वयं को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के प्रति जागरूक हो सकें।

आज के तीव्र परिवर्तनशील सामाजिक और डिजिटल परिवेश में यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों को स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन के साथ–साथ ऐसी बुनियादी जानकारी भी दी जाए जो उन्हें सजग, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करे। जागरूकता ही सुरक्षा का प्रथम और सबसे सशक्त आधार है। जब बच्चे अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता तंत्रों के बारे में जानते हैं, तो वे भय या संकोच के बिना सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

यह पुस्तिकाएँ बाल–केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरल और सहज भाषा में तैयार की गई हैं। इनमें बच्चों की सुरक्षा, उचित आचरण, डिजिटल सावधानियाँ, कानूनी संरक्षण तथा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उद्देश्य यह है कि जानकारी केवल पढ़ी ही न जाए, बल्कि समझी भी जाए और आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार में लाई जा सके।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सदैव बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह प्रकाशन उसी सतत प्रयास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो विधिक साक्षरता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने और बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण के निर्माण की दिशा में समर्पित है।

मैं इस श्रृंखला की तैयारी में जुड़े सभी अधिकारियों और सहयोगियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिकाएँ बच्चों के साथ–साथ अभिभावकों, शिक्षकों और संरक्षकों के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होंगी। आशा है कि यह पहल राज्य भर में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनके लिए सुरक्षित, संवेदनशील और समर्थ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

(न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा)

हरि ओम अत्री

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

बच्चे एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला हैं, और उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पुस्तिका विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और विधिक संरक्षण के विषय में सरल एवं स्पष्ट जानकारी प्रदान करना है। आयु उपयुक्त और आश्वस्तकारी ढंग से बच्चों को संवेदनशील बनाना उन्हें आत्मविश्वास, गरिमा और विधि द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों के प्रति स्पष्ट समझ के साथ आगे बढ़ने में सहायक होता है।

इस पुस्तिका को सावधानीपूर्वक इस प्रकार रूपांकित किया गया है कि आवश्यक विधिक अवधारणाओं को सरल, सुगम और बाल मैत्रीपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिससे बाल–पाठक इसकी विषयवस्तु से सहज रूप से जुड़ सकें। बच्चों के हितों को प्रभावित करने वाले विषयों से उन्हें परिचित कराते हुए यह प्रकाशन सजगता, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त सहायता तंत्र का समय पर उपयोग करने की प्रेरणा देता है।

यह पुस्तिका माननीय न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में तैयार की गई है, जिनकी दूरदृष्टि विधिक जागरूकता और न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करने, विशेषतः बच्चों तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए, निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रही है।

तत्पश्चात् इस सामग्री को सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत रूप प्रदान करने में सुश्री अनुभूति मिश्रा, उप सचिव, सुश्री कोमल मोटियार, उप सचिव तथा सुश्री रश्मि नवल, उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके सूक्ष्म परिश्रम, उत्कृष्ट समन्वय और संस्थागत प्रतिबद्धता विशेष प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं इस पहल से जुड़े सभी अधिकारियों एवं सहयोगियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वर्तमान में सेवारत सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके सतत् समर्पण, निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ सेवा के कारण ही ऐसी जनोन्मुखी पहलें साकार रूप लेती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके सामूहिक प्रयासों से यह पुस्तिका बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं संरक्षकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगी और उन्हें अधिक सुरक्षित एवं जागरूक भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगी।

(हरि ओम अत्री)

➢ Introduction

Imagine your Class 8 friend suddenly stops coming to school. Her books stay empty in the classroom. Her mother says she's "gone to her in-laws' house." At 14 years old, she's now cooking for a stranger husband 10 years older, washing clothes from sunrise to sunset, and scared of beatings if dinner burns.

The **Prohibition of Child Marriage Act, 2006, Juvenile Justice Act, 2015,** and **Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023** make child marriage illegal across India, including Rajasthan. **RSLSA** and **DLSA** provide **free legal help** to stop child marriages and rescue married children. This chapter explains why child marriage destroys education and leads to domestic violence, and how laws protect your right to **study first, marry later.**

➢ What do you mean by Child Marriage?

Child marriage is defined as:

- o Marriage of a **girl below 18 years of age**
- o Marriage of a **boy below 21 years of age**

- **Why families force child marriage:**
  - o **Poverty:** "Marriage solves money problems"
  - o **Tradition:** "Our grandparents married young"
  - o **Fear:** "Girl will run away or get pregnant"
  - o **Debt:** "Groom family pays off loans"

Truth: Child marriage creates bigger problems than it solves. Girls drop school, face violence, early pregnancy risks. Boys lose study time, get trapped in family fights.

➢ परिचय

कल्पना कीजिए कि आपकी कक्षा 8 की सहेली अचानक स्कूल आना बंद कर देती है। उसकी किताबें कक्षा में खाली पड़ी रहती हैं। उसकी माँ कहती है कि वह "ससुराल चली गई है।" 14 साल की उम्र में, वह अब अपने से 10 साल बड़े अजनबी पति के लिए खाना पकाती है, सुबह से शाम तक कपड़े धोती है, और डर के रहती है कि अगर खाना जल जाए तो पिटाई ना हो।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, और **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** पूरे भारत में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, बाल विवाह को गैरकानूनी बनाते हैं। **राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA)** और **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)** बाल विवाह को रोकने और विवाहित बच्चों को बचाने के लिए **निःशुल्क कानूनी सहायता** प्रदान करते हैं। यह अध्याय बताता है कि बाल विवाह शिक्षा को कैसे नष्ट करता है और घरेलू हिंसा की ओर कैसे ले जाता है, और कानून आपके अधिकार को कैसे सुरक्षित रखते हैं - **पहले पढ़ाई, फिर शादी।**

➢ बाल विवाह का मतलब क्या है?

बाल विवाह को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

- o **18 साल से कम उम्र की लड़की** का विवाह
- o **21 साल से कम उम्र के लड़के** का विवाह

- **परिवार बाल विवाह के लिए मजबूर क्यों करते हैं?**
  - o **गरीबी:** "शादी से पैसों की समस्या हल हो जाएगी"
  - o **परंपरा:** "हमारे दादा-दादी ने छोटी उम्र में शादी की थी"
  - o **डर:** "लड़की भाग जाएगी या गर्भवती हो जाएगी"
  - o **कर्ज:** "दूल्हे का परिवार कर्ज़ चुका देता है"

सच: बाल विवाह समस्याओं को हल करने से ज्यादा बड़ी समस्याएँ पैदा करता है। लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं, हिंसा का सामना करती हैं, और जल्दी गर्भावस्था का खतरा होता है। लड़के पढ़ाई का समय खो देते हैं और परिवार के झगड़ों में फँस जाते हैं।

➢ How does Child Marriage affects?

- **How education Suffer?**

  School stops immediately. Class 10 board exam dreams vanish. Textbooks gather dust. Teachers mark "married, left" in registers. You forget multiplication tables and English grammar learned in Class 6. Coaching classes stop. Science experiments, sports days, school trips disappear forever.

- **How Daily life changes completely?**
  - Wake at 4 AM to cook for 8-12 people
  - Wash clothes, clean house till sunset
  - No time or permission for books/studying
  - School friends move to Class 10 while you sweep floors

- **Permanent future damage:** No Class 10 certificate means no government jobs, nursing, teacher training, police jobs. Private companies reject uneducated candidates. Dreams of doctor, engineer, IAS officer vanish.

➢ Is there any Legal Protection for Education?

YES. Law protects your education rights.

- **Right to Education Act, 2009:** Free compulsory education till age 14. Schools must admit child brides/grooms.

➢ बाल विवाह कैसे प्रभावित करता है?

- **शिक्षा कैसे बर्बाद होती है?**

  स्कूल तुरंत बंद हो जाता है। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के सपने गायब हो जाते हैं। किताबें धूल खाती हैं। शिक्षक अपने रजिस्टर में "विवाहित, चली गई" लिखते हैं। आप कक्षा 6 में सीखे हुए गुणा-भाग और अंग्रेजी व्याकरण को भूल जाते हैं। कोचिंग क्लास बंद हो जाती है। विज्ञान के प्रयोग, खेल के दिन, स्कूल की सैर सब के लिए हमेशा के लिए रख़्त हो जाता है।

- **रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह कैसे बदल जाती है?**

  - सुबह 4 बजे उठकर 8-12 लोगों के लिए खाना पकाना
  - सुबह से शाम तक कपड़े धोना, घर साफ करना
  - किताबों या पढ़ाई के लिए न तो समय और न ही अनुमति
  - जबकि स्कूल की सहेलियाँ कक्षा 10 में जा रहीं, आप झाड़ू लगा रही है

- **भविष्य को नुकसान:** कक्षा 10 की सर्टिफिकेट न होने का मतलब है - सरकारी नौकरी नहीं, नर्सिंग नहीं, शिक्षक प्रशिक्षण नहीं, पुलिस की नौकरी नहीं। निजी कंपनियाँ अशिक्षित उम्मीदवारों को अस्वीकार करती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी बनने के सपने हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।

➢ क्या शिक्षा के लिए कोई कानूनी सुरक्षा है?

हाँ। कानून आपके शिक्षा अधिकार की सुरक्षा करता है।

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009:** 14 साल तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा।

Increased risk of Domestic Violence After Child Marriage

➢ What are the increased risk of Domestic Violence?

- **Young brides face worst violence:**
  - Husband beats for "not cooking properly" (age 14 cannot cook like 30-year-old)
  - In-laws insult as "uneducated village girl"
  - Demands dowry even after marriage
  - Sexual violence
  - Locked in house, no phone, no school friends
- **Boys also suffer:**
  - Trapped with angry family and in-laws
  - Expected to earn like adult when still studying
  - Family fights over dowry money
  - Drop school to work as daily labourer

- **Pregnancy dangers :** Pregnancy at a very young age is dangerous for both the mother and the baby. A Child's body is not fully developed to handle pregnancy and lack of education also affects proper care and parenting.

बाल विवाह के बाद घरेलू हिंसा का बढ़ा हुआ खतरा

➢ घरेलू हिंसा के बढ़े हुए खतरे क्या हैं?

- **युवा दुल्हनें सबसे बदतर हिंसा का सामना करती हैं:**
  - o पति "ठीक से खाना न पकाने" के लिए पीटता है (14 साल की लड़की 30 साल की महिला जैसा खाना नहीं पका सकती)
  - o सास-ससुर "अशिक्षित गाँव की लड़की" कहकर अपमान करते हैं
  - o विवाह के बाद भी दहेज की माँग
  - o यौन हिंसा
  - o घर में बंद रखना, फोन की मनाही, स्कूल की सहेलियों से मिलना मना
- **लड़के भी पीड़ित होते हैं:**
  - o गुस्से वाले परिवार और सास-ससुर के साथ फँसे रहना
  - o लड़ाई की उम्र में वयस्क की तरह कमाने की उम्मीद रखना
  - o दहेज के पैसों को लेकर परिवार में झगड़े
  - o स्कूल छोड़कर मजदूरी करना पड़ता है

- **गर्भावस्था के खतरे:** बहुत कम उम्र में गर्भावस्था माँ और बच्चे, दोनो के लिए खतरनाक होती है। बच्चे का शरीर गर्भावस्था संभालने के लिए लिए पूरी तरह विकसित नहीं होता और शिक्षा की कमी के कारण देखभाल तथा बच्चे के पालन-पोषण पर भी बुरा असर पड़ता है।

➢ What is Domestic Violence?

Domestic violence is not only about hitting. It can also happen in many other ways that harm your freedom, confidence, and safety.

It includes:

- **Physical violence:** Hitting, slapping, or hurting your body
- **Controlling your phone:** Checking messages, stopping you from talking to friends
- **Stopping your education:** Not allowing you to go to school or study
- **Verbal abuse:** Insults, threats, shouting, or constant humiliation
- **Financial control:** Not giving money for basic needs or forcing dependence

Important:

If someone controls your choices, isolates you, or makes you feel scared or powerless, it is domestic violence.

You have the right to safety, education, and respect.

➢ घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा केवल मार-पीट तक सीमित नहीं होती। यह कई अन्य तरीकों से भी हो सकती है, जो आपकी आज़ादी, आत्मविश्वास और सुरक्षा को नुकसान पहुँचाते हैं।

इसमें शामिल हैं:

- **शारीरिक हिंसा:** मारना, थप्पड़ मारना, या शरीर को चोट पहुँचाना
- **फोन पर नियंत्रण:** आपके संदेश देखना, आपको दोस्तों से बात करने से रोकना
- **शिक्षा रोकना:** आपको स्कूल जाने या पढ़ाई करने की अनुमति न देना
- **मौखिक दुर्व्यवहार:** गाली देना, धमकाना, चिल्लाना, या बार-बार अपमानित करना
- **आर्थिक नियंत्रण:** बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे न देना या आपको पूरी तरह दूसरों पर निर्भर बना देना

महत्वपूर्ण:

यदि कोई आपके फैसलों पर नियंत्रण करता है, आपको सबसे अलग कर देता है, या आपको डरा हुआ और बेबस महसूस कराता है, तो यह घरेलू हिंसा है।

आपको सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान का अधिकार है।

➢ Is there any Legal Protection Against Violence and Child Marriage?

YES. Child marriage is punishable offence.

- **Prohibition of Child Marriage Act, 2006**

This is the main law to stop child marriage in India. It provides that:

  - o Child marriage is illegal
  - o Such marriage can be declared voidable
  - o People who perform, promote, or support child marriage can be punished
  - o Punishment includes:
  - o Imprisonment up to 2 years
  - o Fine up to ₹1,00,000
  - o Punishment for parents, guardians, priests, and others involved

- **Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012**
  - o Any sexual activity with a child below 18 years is a crime
  - o Marriage does not make such acts legal
  - o Protects children from sexual abuse

- **Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005**
  - o **Section 3:** Protects child brides from beatings, insults, economic control.

- **Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023**
  - o **Section 85** criminalizes cruelty by a husband towards his wife
  - o Punishable with imprisonment up to 3 years and fine

➢ क्या हिंसा और बाल विवाह के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा है?

हाँ। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है।

- **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006**

यह भारत में बाल विवाह को रोकने का मुख्य कानून है। इसमें कहा गया है:

  - o बाल विवाह गैरकानूनी है
  - o ऐसी शादी को अमान्य घोषित किया जा सकता है
  - o जो लोग बाल विवाह करते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं या समर्थन करते हैं, वे दंडनीय हैं
  - o दंड में शामिल है:
  - o 2 साल तक कैद
  - o 1,00,000 रुपये तक जुर्माना
  - o माता-पिता, अभिभावक, पुजारी और अन्य सभी संलिप्त लोगों को दंड दिया जाता है

- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012**
  - o 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ कोई भी यौन गतिविधि एक अपराध है
  - o विवाह ऐसे कार्यों को कानूनी नहीं बनाता
  - o बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाता है

- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005**
  - o **धारा 3:** बाल दुल्हनों को पिटाई, अपमान और आर्थिक नियंत्रण से बचाता है

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023**
  - o **धारा 85** पति द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को अपराध बनाती है
  - o दंड: 3 साल तक कैद और जुर्माना

➢ What are the Warning Signs and How to Stay Safe?

- **Warning signs of child marriage pressure:**
  - o Parents suddenly discuss "good alliance/match"
  - o Relatives measure you for wedding clothes
  - o School friends stop attending or wear mangalsutra
  - o Extra cooking practice "for in-laws"
  - o New mobile phones/jewellery from strangers
  - o School dropout pressure "after Class 8 enough"
- **Stay safe every day:**
  - o Tell school principal/counsellor immediately about marriage talk
  - o Memorize **1098 Childline**—call from school/ neighbour phone
  - o Never attend secret engagement ceremonies
  - o Inform 2 trusted teachers about family marriage pressure
  - o Say firmly: "I want to complete studies first, marriage later"
- **During forced marriage events:**
  - o Run to police station/temple/school
  - o Shout "Child marriage! I'm under 18! Help!"
  - o Call **1098, or 15100** immediately
- **Marriage is illegal**—pandit is committing crime too

➢ चेतावनी के संकेत और सुरक्षित कैसे रहें?

- **बाल विवाह के दबाव के चेतावनी के संकेत:**
    - माता-पिता अचानक "अच्छे रिश्ते" या "शादी के लिए योग्य लड़का" के बारे में बात करने लगते हैं
    - रिश्तेदार आपको शादी के कपड़ों के लिए नाप लेते हैं
    - स्कूल की सहेलियाँ अचानक स्कूल न आएँ या मंगलसूत्र पहन लें
    - ससुराल के लिए "अतिरिक्त खाना पकाने की प्रैक्टिस"
    - अजनबियों की ओर से नए फोन या गहने
    - "कक्षा 8 के बाद काफी है" - स्कूल छोड़ने का दबाव
- **हर दिन सुरक्षित रहें:**
    - तुरंत स्कूल प्रधानाचार्य/काउंसलर को शादी की बात बताएँ
    - **1098 चाइल्डलाइन** नंबर को याद रखें - स्कूल या पड़ोसी के फोन से कॉल करें
    - कभी भी गुप्त सगाई समारोह में न जाएँ
    - 2 भरोसेमंद शिक्षकों को परिवार के विवाह दबाव के बारे में बताएँ
    - दृढ़ता से कहें: "मैं पहले कक्षा पास करूँ, फिर शादी करूँ"
- **जबरदस्ती शादी के समय:**
    - पुलिस थाने/मंदिर/स्कूल में भागकर जाएँ
    - जोर से चिल्लाएँ: "बाल विवाह! मैं 18 साल से कम हूँ! मदद करो!"
    - तुरंत 1098 या 15100 पर कॉल करें
- **शादी गैरकानूनी है -** पंडित भी अपराध कर रहा है

➢ How Does RSLSA Stop Child Marriage?

RSLSA/DLSA actively prevents and stops child marriages across Rajasthan:

- **NALSA** has launched **ASHA SCHEME (Awareness, Support, Help, and Action, Scheme).** Under this scheme ASHA units are constituted in each District. These units ensure that Child Marriage cases are received and processed immediately to Child Marriage Prohibition Officer.
- **Child Marriage Prohibition Officers:** Government officials legally empowered to enter wedding venues, verify ages, cancel illegal marriages.
- **Legal Notices:** Send warnings to parents planning child marriage. Threaten fines, jail time.
- **Post-Marriage Rescue:** File cases declaring marriage **void ab initio** (never existed). Arrange child bride return to parental/school home.
- **Shelter Homes:** Safe houses for rescued child brides waiting court orders. Continue education, skill training, counselling.
- **Free Lawyers:** Court battles against family pressure. Win custody back to education. Punish marriage organizers.
- **1098 Childline Integration:** Immediate response teams stop ongoing wedding rituals within 1 hour.
- **Helpline No. 15100, 9928900900:** Immediate legal assistance provided

➢ RSLSA बाल विवाह को कैसे रोकता है?

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) राजस्थान भर में सक्रिय रूप से बाल विवाह को रोकते और बंद करते हैं:

- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** ने **आशा योजना (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई योजना)** शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आशा इकाइयाँ गठित की गई हैं। ये इकाइयाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि बाल विवाह के मामलों को तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी को भेजा जाए।
- **बाल विवाह निषेध अधिकारी:** सरकारी अधिकारी जिनके पास कानूनी रूप से शादी की जगह पर प्रवेश करने, उम्र सत्यापित करने और गैरकानूनी शादियों को रद्द करने की शक्ति है।
- **कानूनी नोटिस:** बाल विवाह की योजना बनाने वाले माता-पिता को चेतावनी भेजते हैं। जुर्माना और जेल की धमकी देते हैं।
- **विवाह के बाद बचाव:** शादी को शून्य ab initio (जो कभी हुई ही नहीं) घोषित करने के लिए मामले दर्ज करते हैं। बाल दुल्हन को माता-पिता के घर या स्कूल वापस करवाते हैं।
- **आश्रय गृह:** बचाई गई बाल दुल्हनों के लिए सुरक्षित घर जहाँ वे अदालत के आदेश की प्रतीक्षा करती हैं। शिक्षा जारी रहती है, कौशल प्रशिक्षण और परामर्श दिया जाता है।
- **निःशुल्क वकील:** अदालत की लड़ाई में मदद करते हैं परिवार के दबाव के खिलाफ। शादी के आयोजकों को दंडित करवाते हैं।
- **1098 चाइल्डलाइन एकीकरण:** रिस्पॉन्स टीम चल रहे विवाह अनुष्ठान को 1 घंटे के भीतर रोक देते हैं।
- **हेल्पलाइन नंबर 15100, 9828900900 :** तुरंत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है

➢ How Children Can Get Help Right Now?

If parents plan your child marriage:

- **First Step—Inform School Immediately**

  Tell principal/counsellor: "My family wants me to marry before 18." School calls **RSLSA/DLSA** and **Childline.**

- **Second Step—Call 1098 Childline**

  Free 24/7. Say: "Child marriage planned. My age __. Wedding date __."

- **Third Step—Run to Safe Place**

  Neighbour aunty, temple, government school, police station.

- **Fourth Step—Police/RSLSA Rescue**

  Police stop wedding procession.

Legal Truth: You face ZERO punishment for refusing child marriage. Parents face **2 years jail + ₹1 lakh fine.** Marriage organizers face **same punishment.**

Important: Even if wedding rituals complete, **court declares marriage void.** You return to school. Family cannot force you again.

➢ बच्चे अभी कैसे मदद पा सकते हैं?

अगर माता-पिता आपका बाल विवाह करने की योजना बना रहे हैं:

- **पहला कदम - तुरंत स्कूल को सूचित करें**

  स्कूल प्रधानाचार्य/काउंसलर को बताएँ: "मेरा परिवार मुझे 18 साल से पहले शादी करना चाहता है।" स्कूल **RSLSA/DLSA** और **चाइल्डलाइन** को कॉल करता है।

- **दूसरा कदम - 1098 चाइल्डलाइन पर कॉल करें**

  निःशुल्क, 24/7 उपलब्ध। कहें: "बाल विवाह की योजना है। मेरी उम्र __। शादी की तारीख __।"

- **तीसरा कदम -** किसी सुरक्षित जगह पर दौड़ जाएँ

  पड़ोसन आंटी, मंदिर, सरकारी स्कूल, पुलिस थाना।

- **चौथा कदम -** पुलिस/RSLSA बचाव

  पुलिस शादी की बारात को रोक देती है।

कानूनी सच: आपको बाल विवाह से इनकार करने के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। माता-पिता को **2 साल जेल + 1 लाख रुपये जुर्माना** मिलेगा। शादी के आयोजकों को **वही सजा** मिलेगी।

महत्वपूर्ण: भले ही शादी के अनुष्ठान पूरे हो जाएँ, **अदालत शादी को शून्य घोषित** करती है। आप स्कूल वापस जाते हैं। परिवार आपको दोबारा बाध्य नहीं कर सकता।

➢ What Happens When You Ask for Help?

- **You are protected, not punished**

  Saying no to child marriage or reporting violence is your legal right.

- **Your education continues**

  You can return to school and continue your studies without interruption.

- **Help arrives quickly**

  Authorities (police, Childline 1098, legal services) can stop the situation and ensure your safety.

- **You are supported through the process**

  You may receive counselling, guidance, and a safe environment if needed.

- **Your future stays in your control**

  Taking action helps you stay safe, complete your education, and make your own life choices.

- ## मदद माँगने पर क्या होता है?

- **आपकी सुरक्षा की जाती है, सज़ा नहीं दी जाती**

  बाल विवाह से मना करना या हिंसा की शिकायत करना आपका कानूनी अधिकार है।

- **आपकी पढ़ाई जारी रहती है**

  आप फिर से स्कूल जा सकते/सकती हैं और बिना रुकावट अपनी पढ़ाई जारी रख सकते/सकती हैं।

- **मदद जल्दी पहुँचती है**

  अधिकारी (पुलिस, चाइल्डलाइन 1098, विधिक सेवा संस्थाएँ) स्थिति को रोक सकते हैं और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

- **पूरी प्रक्रिया में आपका साथ दिया जाता है**

  ज़रूरत पड़ने पर आपको परामर्श, मार्गदर्शन और सुरक्षित वातावरण मिल सकता है।

- **आपका भविष्य आपके नियंत्रण में रहता है**

  सही कदम उठाने से आप सुरक्षित रहते हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं, और अपने जीवन के फैसले स्वयं ले सकते/सकती हैं।

➢ Conclusion

Child marriage steals Class 10 certificate, government jobs, safe adulthood. Girls face beatings, early pregnancy death, no education. Boys lose study time, get trapped in family violence. But Prohibition of Child Marriage Act makes all child marriages illegal. RSLSA stops many Child Marriages yearly with police raids, court orders, school readmission.

Your right: Study till 18. Live safe violence-free life.

You deserve Class 10 certificate. You deserve safe husband. You deserve bright future.

Call 1098 anytime. RSLSA fights child marriages daily. Your education > any wedding.

Emergency Contact Numbers

Police Emergency: 100, 112

Child Helpline: 1098 (24/7 FREE)

RSLSA Helpline: 15100, 9928900900

➢ निष्कर्ष

बाल विवाह कक्षा 10 की सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी, सुरक्षित वयस्कता को छीन लेता है। लड़कियों को पिटाई, जल्दी गर्भावस्था से मौत, शिक्षा न मिलना का सामना करना पड़ता है। लड़के पढ़ाई का समय खो देते हैं और परिवार की हिंसा में फँस जाते हैं। लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम सभी बाल विवाहों को गैरकानूनी बनाता है। पुलिस छापों, अदालत के आदेशों और स्कूल में पुनः प्रवेश से RSLSA, कई बाल विवाहों को रोकता है।

आपका अधिकार: 18 साल तक पढ़ाई। हिंसा-मुक्त, सुरक्षित जीवन।

आपको कक्षा 10 की सर्टिफिकेट का अधिकार है। आपको सुरक्षित पति का अधिकार है। आपको उज्ज्वल भविष्य का अधिकार है।

कभी भी 1098 पर कॉल करें। RSLSA हर दिन बाल विवाहों से लड़ता है। आपकी शिक्षा > किसी भी शादी से।

आपातकालीन संपर्क नंबर

पुलिस आपातकाल: 100, 112

बाल सहायता हेल्पलाइन: 1098 (24/7 निःशुल्क)

RSLSA हेल्पलाइन: 15100, 9928900900

Notes

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Rajasthan High Court Campus, Jaipur Bench
Vidhik Seva Sadan, Vidhik Seva Marg, C-Scheme, Jaipur
Phone No. : 0141-2227481, FAX: 2227602
Toll Free Help Line 15100/9928900900
Email: rslsajp@gmail.com, website: http://rajasthan.nalsa.gov.in